

दिनांक 24 जून 2015

नमस्कार मित्रों

आरटीई मे हमारे से बहुत से साथियों को प्रथम किस्त नही मिली है , एवं कुछ के अधिकारी बजट नही होने की बात कर रहे है । हम आपकी समस्याओं को लेकर जब आरटीई प्रभारी अधिकारी से जयपुर मुख्यालय पर मिले तो उन्हौने कहा आप प्रत्येक स्कूल की व्यक्तिगत प्रब्लम लाओं तो हम सम्बन्धित अधिकारी से बात कर समस्या का समाधान करावे ।

---

मुझे कुछ साथियो ने सवाल किया कि

1. क्या हम फीस बढा सकते है ? कितनी बढा सकते है ?
  2. टीसी व सीसी का शुल्क कितना ले सकते है ?
  3. आरटीई मे बुक्स नही देने के कारण द्वितीय किस्त नही मिल रही है ? क्या करे ?
  4. जालोर के डीई ओ कार्यालय द्वारा मान्यता की पत्रावलियों का निस्तारण नही किया जा रहा है ।
- 

1.मित्रों यह सच है कि राजस्थान मे फीस एक्ट 1.8.2013 से लागू हो गया है लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा फीस कमेटी के द्वारा जारी 6(4) के आदेशो के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से, वे आदेश निष्प्रभावी है ।

जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप फीस बढा सकते है चाहे आपको फीस निर्धारण कमेटी से फीस तय होने का आदेश मिला हो या नही ?

फीस एक्ट लागू होने से पूर्व जितनी फीस आप बढाते रहते थे, उतनी ही फीस बढाये तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा । वैसे कोई कानून नही है रोक का ।

---

2.टीसी व सीसी शुल्क के सम्बन्ध में फीस निर्धारण कमेटी ने 50 –50 रू0 तय किये हैं । लेकिन आप अपनी सुविधानुसार 200 रू0 तक चार्ज कर सकते हैं । क्योंकि 50 रू0 की तो स्टेशनरी ही लग जाती है ।

---

3.आरटीई में यदि आपने बुक्क नही दी है तथा वे हमारे द्वारा दिये गये पत्र के बावजूद क्लेम बिल नही बना रहे हैं और कहते हैं कि आप अभिभावक से लिखवाकर लाकर दो , कि बुक्स प्राप्त कर ली है तो आप गलत जानकारी नही देवे । कुछ समय लग सकता है, क्योंकि मंत्री जी स्थानान्तरणों में बिजी हैं । लेकिन हम इस समस्या का कोई स्थाई समाधान निकलवाने की कोशिश करेंगे । यदि आ झुक गये तो हमेशा के लिए विवाद बना रहेगा । पैसा आज नही तो कल मिल जायेगा । आप डटे रहे ।

---

4.जालोर से सुखराम जी व ललित जी ने फोन कर बताया कि वहाँ के अधिकारी मान्यता नियमों में नया ही अंडगा लगा रहे हैं । मेरी शिक्षा सचिव श्री केएल मीणा जी बात हुई है , वे एक दो दिन में फ्री हो कर इस मामले को दिखवायेगे । मंत्री जी भी फ्री नही हैं । हम जालोर वाले मित्रों की समस्या का समाधान जरूर करवा देंगे ।

---

हेमलता शर्मा / अनिल शर्मा / श्रवण बोहरा एवं टीम